संदेश

राजस्थान अपनी विकास यात्रा में युवा एवं बढ़ते कार्यबल, विविध आर्थिक क्षमताओं तथा राष्ट्रीय एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं सहित बढ़ते एकीकरण के साथ महत्वपूर्ण चरण पर है। **विकसित राजस्थान** की परिकल्पना की ओर अग्रसरता में, जो **विकसित भारत** के राष्ट्रीय संकल्प के अनुरूप है, राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आर्थिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप उसके नागरिकों को **सार्थक, गरिमापूर्ण** एवं **सतत रोजगार अवसर** प्राप्त हों।

राजस्थान रोजगार नीति को वर्तमान एवं उभरती श्रम बाजार आवश्यकताओं, दोनों के अनुरूप तैयार किया गया है। **वर्ष 2029 तक 15 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार अवसरों** को सुकर बनाने के स्पष्ट लक्ष्य के साथ, यह नीति कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों, एमएसएमई, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा उभरते प्रौद्योगिकी–आधारित सेक्टरों में राजस्थान की सुदृढ़ क्षमताओं पर बनायी गयी है। युवाओं और महिलाओं को विशिष्ट महत्व देते हुए, यह मजदूरी आधारित रोजगार, उद्यमिता, कौशल विकास एवं आजीविका संवर्धन को समाहित करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है।

लखपति दीदी एवं बीमा सखी योजना जैसी पहलों के माध्यम से **महिला–नेतृत्व वाले आर्थिक सशक्तिकरण,** उद्यमिता एवं एमएसएमई को समर्थन, मांग–आधारित कौशल विकास तथा प्रौद्योगिकी–सक्षम रोजगार सुविधा इस नीति के प्रमुख स्तंभ बनाती हैं। कार्यबल भागीदारी को सुदृढ़ करने, रोजगार की गुणवत्ता में सुधार करने तथा कौशल को विकासशील आर्थिक अवसरों के अनुरूप संरेखित करते हुए, यह नीति विकास की **रोजगार–आधिक्य को बढ़ाने** तथा राजस्थान को 350 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के दीर्घकालिक लक्ष्य में योगदान देने के लिए ईप्सित है।

मुझे विश्वास है कि यह नीति राजस्थान के रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करेगी और **समावेशी, लचीले एवं भविष्योन्मुखी विकास** की एक मजबूत आधारशिला स्थापित करेगी।

भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री

राजस्थान सरकार

संदेश

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के मार्गदर्शन में, विकसित भारत की राष्ट्रीय परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान, औद्योगिक विस्तार, उद्यम विकास और कुशल, भविष्योन्मुखी कार्यबल के माध्यम से अपनी विकास की नींव को सुदृढ़ कर रहा है। राज्य की विकास गति सशक्त विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की वृद्धि, जीवन्त एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र तथा सतत निवेश पर आधारित है, जो क्षेत्रों और सेक्टरों में अवसरों का सृजन कर रहे हैं।

राजस्थान रोजगार नीति विनिर्माण, सेवा, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि–प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स तथा उभरते उद्योगों सहित प्रमुख सेक्टरों में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के बीच प्रत्यक्ष एवं परिणामोन्मुख संबंध स्थापित करती है। उद्योग की मांग के साथ कौशल विकास के एकीकरण द्वारा एमएसएमई को कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराना, तथा उद्यमिता एवं नवाचार को प्रोत्साहन देकर यह नीति युवाओं और महिलाओं के लिए लक्षित अवसरों के साथ औद्योगिक एवं उद्यम विकास के रोजगार प्रभाव को सुदृढ़ करती है।

उद्योग–कौशल भागीदारियों के सुदृढ़ीकरण, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आरआईपीएस) जैसे सक्षम ढाँचों के प्रभावी उपयोग तथा उद्यम–प्रेरित विस्तार के समर्थन के माध्यम से यह नीति निवेश से रोजगार तक का स्पष्ट मार्ग प्रशस्त करती है। यह राजस्थान के औद्योगिक एवं एमएसएमई परिदृश्य को सशक्त बनाती है यह सुनिश्चित करते हुए कि विकास निरंतर उत्पादक रोजगार एवं दीर्घकालिक आर्थिक सुदृढ़ता में परिवर्तित होता रहे।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

मंत्री

कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग,

राजस्थान सरकार

संदेश

राजस्थान रोजगार नीति का केंद्रीय उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रोजगार के अवसर **सुलभ, समयबद्ध एवं राजस्थान के नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप हों।** जैसे–जैसे राज्य समावेशी विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, आर्थिक गतिविधियों को वास्तविक **रोजगार परिणामों** में परिवर्तित करने हेतु केंद्रित एवं समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

यह नीति **प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं सरकारी सेक्टरों** में रोजगार को सुकर बनाने के उद्देश्य से बनायी गयी है, जिसमें मजदूरी आधारित रोजगार, स्वरोजगार एवं स्थानीय रोजगार अवसरों पर विशिष्ट बल दिया गया है। रोजगार सुविधा तंत्र को सुदृढ़ करने, जॉब–मैचिंग में सुधार करने तथा कार्यबल के विविध वर्गों तक पहुँच के विस्तार के द्वारा वर्तमान रोजगार आवश्यकताओं और उभरती श्रम बाजार आवश्यकताओं, दोनों को संबोधित करना ईप्सित है।

युवा, महिलाओं एवं वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि रोजगार के अवसर उन तक पहुँच सकें जिन्हें इनकी सर्वाधिक आवश्यकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, रोजगार अभियान एवं सेक्टरों में समन्वित क्रियान्वयन द्वारा यह नीति **रोजगार अवसरों की गुणवत्ता, स्थिरता एवं पहुंच** को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखती है।

मुझे विश्वास है कि राजस्थान रोजगार नीति, राज्य में रोजगार परिणामों को सुदृढ़ करने तथा **समावेशी एवं सतत आजीविका सृजन** हेतु सहायता प्रदान करने में सार्थक भूमिका निभायेगी।

कृष्ण कुमार विश्नोई

राज्य मंत्री

कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग,

राजस्थान सरकार

संदेश

राजस्थान रोजगार नीति तीव्र गति से विकसित हो रहे आर्थिक परिवेश में राज्य की रोजगार संबंधी चुनौतियों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक एवं संरचित ढाँचा प्रदान करती है। **प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा सरकारी सेक्टरों** में रोजगार सुविधा को समाहित करते हुए यह नीति संतुलित दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है, जो राजस्थान के श्रम बाज़ार की विविधता तथा समन्वित एवं परिणामोन्मुख हस्तक्षेपों की आवश्यकता को स्वीकार करती है।

इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, उद्योग, एमएसएमई, कृषि, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, अवसंरचना तथा सामाजिक कल्याण के लिए उत्तरदायी **विभागों के बीच, एक समग्र दृष्टिकोण** रखना आवश्यक है। यह नीति, एक **सुसंगत रोजगार पारिस्थितिकी** तंत्र सृजित करने के लिए, **क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अभिसरण,** विभागीय पहलों के समन्वय तथा व्यापक विकास रणनीतियों में रोजगार उद्देश्यों के एकीकरण की परिकल्पना करती है।

समयबद्ध विनिश्चय एवं जवाबदेही का समर्थन करने के लिए **संस्थागत समन्वय, डिजिटल रोजगार प्रणालियों तथा डाटा–आधारित निगरानी** पर विशेष बल दिया गया है। निजी सेक्टर उद्योग संघों, शैक्षणिक संस्थानों तथा नागरिक समाज संगठनों के साथ भागीदारी रोजगार सुविधा को और सुदृढ़ करेगी तथा परिणाम को बेहतर करेगी।

सतत अंतर–विभागीय सहयोग एवं अनुकूलनीय क्रियान्वयन के माध्यम से राजस्थान रोजगार नीति राज्य के लिए एक **उत्तरदायी, समावेशी एवं सतत रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र** के निर्माण को सक्षम बनायेगी।

संदीप वर्मा

अतिरिक्त मुख्य सचिव

कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग

संदेश

राजस्थान रोजगार नीति संस्थागत क्षमता निर्माण, एकीकरण प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी–सक्षम शासन के माध्यम से रोजगार सुविधा को सुदृढ़ करने हेतु एक सुसंगत नीतिगत ढाँचा स्थापित करती है। यह नीति ऐसा सक्षम वातावरण निर्मित करने के लिए कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की केंद्रीय भूमिका को मान्यता देती है, जहाँ रोजगार अवसरों की प्रभावी पहचान, सुगमता एवं निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

इस ढाँचे के अंतर्गत, **राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी)** तथा राज्य के **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई)** के नेटवर्क जैसी संस्थाओं की तैयारी को श्रम बाज़ार की मांग के अनुरूप संरेखित कर रोजगार परिणामों को सुदृढ़ करने वाले प्रमुख स्तंभों के रूप में स्थापित किया गया है। यह नीति इस बात पर बल देती है कि कौशल एवं प्रशिक्षण प्रणाली का रोजगार सुगमता एवं प्लेसमेंट उद्देश्यों से निकट संबंध बना रहना चाहिए।

उन्नत रोजगार विनिमय प्रबन्धन प्रणाली **(ईईएमएस 2.0)** के माध्यम से एक महत्वपूर्ण नीति को डिजिटल रोजगार प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान देना चाहिए। एक एकीकृत एवं डाटा आधारित मंच के रूप में परिकल्पित ईईएमएस 2.0 पारदर्शी पंजीकरण, रिक्ति का मानचित्रण, नियोजक सहभागिता तथा परिणामों की निगरानी को समर्थन देगा, जिससे नीतिगत उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही में सुधार होगा।

संस्थागत सुदृढ़ीकरण, डिजिटल एकीकरण एवं समन्वित नीतिगत क्रियान्वयन के माध्यम से राजस्थान रोजगार नीति राज्य के लिए एक **उत्तरदायी, समावेशी एवं भविष्योन्मुखी** रोजगार **पारिस्थितिकी तंत्र** विकसित करने हेतु ईप्सित है।

रिशव मण्डल

कमिश्नर

कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

राजस्थान रोजगार नीति 2026

कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग
राजस्थान सरकार

विषय सारणी

1. प्रस्तावना ....
2. परिकल्पना, मिशन और उद्देश्य..
   2.1 परिकल्पना...
   2.2 मिशन...
   2.3 उद्देश्य...
3. प्राथमिक सेक्टर...
   3.1 स्वरोजगार..
   3.2 मजदूरी आधारित रोजगार..
4. द्वितीयक सेक्टर..
   4.1 स्वरोजगार...
   4.2 मजदूरी आधारित रोजगार..
   4.3 स्थानीय रोजगार...
5. तृतीयक सेक्टर..
   5.1 स्वरोजगार...
   5.2 मजदूरी आधारित रोजगार...
   5.3 स्थानीय रोजगार...
6. सरकारी सेक्टर..
   6.1 स्थायी कर्मचारी..
   6.2 संविदात्मक कर्मचारी...
   6.3 पारिश्रमिक आधारित कार्यकर्ता..
7. रोजगार सुगमता हेतु अन्तर–क्षेत्रीय रणनीतियां...
   7.1 रोजगार मेले, रोजगार अभियान और आजीविका सुगमता...................
   7.2 क्षेत्रीय रणनीतियां.. .....
8. रोजगार डाटा, डिजिटल प्रणालियां और मॉनिटरिंग.....................................
9. नीति प्रशासन..
10. नीति की कालावधि ....

1. प्रस्तावना

1.1 राजस्थान, अपनी गहरी ऐतिहासिक जड़ों और जीवन्त आर्थिक विविधता के साथ, भारत की विकास यात्रा में एक गतिशील योगदानकर्ता के रूप में उभर रहा है। अपने विश्व–प्रसिद्ध पर्यटन उद्योग और समृद्ध होते एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र, तीव्र गति से विकसित हो रहे औद्योगिक कॉरिडोर तथा नवीकरणीय ऊर्जा में नेतृत्व के माध्यम से, राजस्थान स्वयं को नवाचार, उद्यमिता और अवसर के केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। राजस्थान की युवा आबादी इसकी कुल जनसंख्या का 28.7% है। वर्तमान में राज्य की कामकाजी आयु वर्ग की जनसंख्या लगभग 51.5 मिलियन है, जो 2030 तक बढ़कर 59 मिलियन होनी अनुमानित है। यह वृद्धि एक ऐसे रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जो गतिशील रोजगार बाज़ार के लिए अतिरिक्त 7.5 मिलियन व्यक्तियों को तैयार कर सके। युवा और ऊर्जावान जनसंख्या के साथ, राज्य के पास अपनी मानव पूंजी, क्षेत्रीय क्षमताओं और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति का उपयोग कर सतत, समावेशी और रोजगार केंद्रित विकास को गति देने की अपार संभावनाएँ हैं।

1.2 हाल के वर्षों में राजस्थान में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं, जिनमें विनिर्माण, सेवाएँ, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल उद्योग तथा मूल्य संवर्धित कृषि व्यवसाय जैसे उच्च संभावनाशील सेक्टरों का योगदान बढ़ा है। राज्य का लक्ष्य उच्च वृद्धि एवं श्रम–प्रधान क्षेत्रों को समर्थन देकर इस परिवर्तन को तेज़ करना है, साथ ही हरित ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, आईटी/आईटीईएस तथा उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे नये युग के उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देना है। यह क्षेत्रीय बदलाव न केवल रोजगार सृजित करता है, बल्कि राजस्थान को राष्ट्रीय एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है।

1.3 नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2023–24 के डाटा के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए राजस्थान की श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 64.4% दर्ज की गयी, जो राष्ट्रीय औसत 60.1% से अधिक है। इससे उपदर्शित होता है कि राजस्थान की कामकाजी आयु वर्ग की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय प्रवृत्ति के तुलनात्मक या तो कार्यरत है अथवा सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश में है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), जो नियोजित जनसंख्या के अनुपात को दर्शाता है, जो राजस्थान में 61.7% पर था, जो राष्ट्रीय डब्ल्यूपीआर के 58.2% से अधिक है। तथापि, बेरोजगारी दर (यूआर) डाटा के आंकड़ों से एक महत्वपूर्ण चिंता उत्पन्न होती है। राजस्थान में बेरोजगारी दर 4.2% दर्ज की गयी, जो राष्ट्रीय औसत 3.2% से अधिक है। यह संकेत करता है कि यद्यपि राजस्थान में अधिक लोग कार्यबल में प्रवेश कर रहे हैं

जहाँ 9.8 लाख पब्लिक सेक्टर में और 40 लाख प्राइवेट सेक्टर में नियोजित[1] है फिर भी एक उल्लेखनीय जनसंख्या सुरक्षित रोजगार प्राप्त करने हेतु संघर्ष कर रही है। इससे यह आवश्यकता स्पष्ट होती है कि श्रम भागीदारी को वास्तविक रोजगार अवसरों में परिवर्तित करने हेतु लक्षित रोजगार सृजन रणनीतियों और सेक्टर–विशिष्ट हस्तक्षेपों को अपनाया जाये।

1.4 इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सेक्टर, रोजगार का प्रमुख स्रोत है, जहां 60.9% जनसंख्या इस पर निर्भर है। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में 56.4% की निर्भरता के साथ तृतीयक सेक्टर का प्रभुत्व है (पीएलएफएस 2023–24)। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में, जहाँ शुष्क परिस्थितियों के कारण मौसमी बेरोजगारी और प्रवासन की समस्या प्रचलित है, अधिकांश जनसंख्या विशिष्टतया प्राथमिक सेक्टर पर निर्भर है। दूसरी ओर, जयपुर और अलवर जैसे शहरी केंद्र औद्योगिक एवं तृतीयक सेक्टर की वृद्धि से लाभान्वित हो रहे हैं। इन असमानताओं से यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्र–विशिष्ट रणनीतियों की आवश्यकता है, जो ग्रामीण विविधीकरण को सुदृढ़ करें और शहरी रोजगार अवसरों को बढ़ावा दें। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सेक्टर को बढ़ाने के साथ–साथ सेवा सेक्टर की ओर आंशिक शिफ्ट को भी सुकर करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

1.5 राजस्थान रोजगार नीति 2026, राज्य की शक्तियों पर, जैसे कि इसके बढ़ते एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) सेक्टर, सक्षम जनशक्ति और उभरते उद्योगों का निर्माण कर वर्तमान एवं भावी दोनों श्रम बाजार मांगों को पूरा करने का आशय रखती है। यह मांग–आधारित रोजगार अवसरों को बढ़ाने, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जॉब–मैचिंग में सुधार करने, प्राइवेट सेक्टर कार्य को पोषित करने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने पर बल देती है। राजस्थान, 24,99,809 रजिस्ट्रीकृत एमएसएमई (सूक्ष्मः 24,71,973; लघुः 26,250; मध्यमः 1,586) के साथ शीर्ष राज्यों में आता है। यह सशक्त एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र, रोजगार सृजन में इसकी प्रमुख भूमिका को रेखांकित करता है, उद्यमिता एवं आर्थिक विविधीकरण पर नीति के विशेष बल को समर्थन देता है। इसके अतिरिक्त यह नीति मांग–आधारित रोजगार, डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्राइवेट सेक्टर भूमिकाओं, और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करती है; जो नियोजित युवा, समृद्ध राजस्थान (नियोजित युवा, समृद्ध राजस्थान) के लक्ष्य के साथ संरेखित है।

[1]इस संदर्भ में प्राइवेट सेक्टर नियोजन, राजस्थान में ईपीएफओ डाटा और एमएसएमई में रजिस्ट्रीकृत होने के साथ विनिर्दिष्टतः संगठित रोजगार से संबंधित है। इसमें स्वरोजगार और असंगठित निजी रोजगार से संबंधित आंकडे सम्मिलित नहीं है।

1.6 राजस्थान रोजगार नीति 2026 यह लक्ष्य सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक नागरिक की सार्थक रोजगार तक पहुंच हो, जिसके द्वारा जीवन स्तर में सुधार हो और जीवन की संपूर्ण गुणवत्ता बढ़ सके। केवल रोजगार सृजन के अलावा, यह नीति स्थिर आय सृजन, प्रवासन को कम करने और संपन्न समुदायों के निर्माण का भी लक्ष्य रखती है। इसके अतिरिक्त, सरकारी पहलों जैसे कि राम जल सेतु लिंक परियोजना (पीकेसी–ईआरसीपी) से सिंचाई अवसंरचना में सुधार लाना अपेक्षित है, जिससे कुल फसल क्षेत्र में विस्तार होगा, कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और कृषि सेक्टर में श्रम समावेश बढ़ेगा; इसके द्वारा कृषि आय में योगदान बढ़ेगा।

1.7 यह नीति बाजार–आधारित कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान कौशल नीति 2025 के साथ संरेखित होगी। प्रमुख केन्द्र बिन्दू क्षेत्र में सेक्टर–आधारित रोजगार सृजन, एमएसएमई सुदृढीकरण, ग्रामीण आजीविकाओं का विविधीकरण और उन्नत होते नगरीय, हरित, और तकनीकी–आधारित रोजगार अवसरों को बढ़ावा देना, सम्मिलित है। अतः यह नीति केवल एक रोडमैप नहीं है; बल्कि यह भविष्योन्मुखी और समावेशी रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति एक प्रतिबद्धता है। इसका उद्देश्य संरचनात्मक परिवर्तनों को सार्थक अवसरों में परिवर्तित करना, सभी के लिए सम्मानजनक कार्य सुनिश्चित करना तथा एक कुशल, प्रशिक्षित और सशक्त कार्यबल के निर्माण में सहायता करना है। नवाचार, समानता और लचीलेपन को अपनी रोजगार रणनीति में एकीकृत करते हुए, राजस्थान एक समृद्ध और समावेशी अर्थव्यवस्था की नींव रख रहा है, जो किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेगी।

2. परिकल्पना, मिशन और उद्देश्य

2.1 परिकल्पना

राजस्थान में प्रत्येक युवा को सार्थक रोजगार के अवसर प्रदान करना, उसके द्वारा राज्य को समावेशी और सतत रोजगार सुगमता में भारत में मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके साथ ही अपने कार्यबल से विशेषकर युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाते हुए वर्ष 2030 तक राजस्थान को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देना।

2.2 मिशन

मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार अवसरों के उत्पादन को सुकर करने की दिशा में कार्य करना, जिसमें विविध रोजगार अवसरों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना, उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना, संसाधनों एवं बाजारों तक पहुँच बढ़ाना, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना तथा राज्य की प्रचलित पहलों के साथ समन्वय सुनिश्चित करना है।

2.3 उद्देश्य

2.3.1 प्राथमिक सेक्टरः

क) कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियों में स्थानीय आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देते हुए **स्वरोजगार** और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।

ख) कृषि, वनोद्योग, ग्रामीण उद्योगों में स्थानीय **मजदूरी आधारित रोजगार** अवसरों में वृद्धि और ग्रामीण आजीविकाओं के विविधीकरण को प्रोत्साहित करना।

2.3.2 द्वितीयक सेक्टरः

क) विनिर्माण, निर्माण और हरित ऊर्जा सेक्टरों में स्थानीय मूल्य सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु **स्वरोजगार** को गति प्रदान करना।

ख) राजस्थान एवं अन्य राज्यों में वस्त्र, निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख सेक्टरों में **मजदूरी आधारित रोजगार** अवसरों को सुकर बनाना।

ग) विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में आय में वृद्धि एवं प्रदर्शन के लिए अंतरराष्ट्रीय मजदूरी आधारित रोजगार अवसरों को बढ़ाना।

घ) जिला–विशिष्ट औद्योगिक पहलों को समर्थन देकर **स्थानीय रोजगार** को प्रोत्साहित करना।

2.3.3 तृतीयक सेक्टरः

क) पर्यटन, आईटी/आईटीईएस, लॉजिस्टिक्स और नगरीय सूक्ष्म–उद्यमों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए सेवा सेक्टर में **उद्यमिता को** प्रोत्साहित करना।

ख) राजस्थान एवं अन्य राज्यों में **मजदूरी आधारित रोजगार** अवसरों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना।

ग) सेवा सेक्टर आधारित भूमिकाओं में बेहतर आर्थिक मार्गों और सीखने का अनुभव प्राप्त करने के लिए, **अंतरराष्ट्रीय मजदूरी आधारित रोजगार** अवसरों को बढ़ावा देना।

घ) राजस्थान में विशेषकर जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए, **स्थानीय रोजगार** परिदृश्य को बढ़ावा देना।

2.3.4 सरकारी सेक्टरः

क) **नियमित सरकारी रोजगार** प्रदान करने हेतु व्यवस्थित, पारदर्शी और यथासमय भर्ती सुनिश्चित करना।

ख) विशिष्ट परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने एवं दक्षता बढ़ाने के लिए **संविदात्मक कर्मचारियों** की नियोजित नियुक्ति।

ग) प्रभावी मूलभूत सेवा परिदान सुनिश्चित करने हेतु **पारिश्रमिक–आधारित कार्यकर्ता** की सतत सहभागिता बनाये रखना।

3. प्राथमिक सेक्टर

3.1 स्वरोजगार

3.1.1 **एसएचजी, सहकारिताओं और वित्त के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरणः** राज्य में 4.13 लाख सक्रिय एसएचजी है, जिनमें से 50,896 ने सूक्ष्म–उद्यम आरंभ किये हैं, जो महिलाओं की उद्यमिता और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डालते हैं। राज्य सरकार, राजीविका (एनआरएलएम) द्वारा समर्थित एसएचजी के माध्यम से महिलाओं की उद्यमिता और आर्थिक स्वतंत्रता को सुकर बनायेगी।

3.1.2 एसएचजी तथा महिला–नेतृत्व वाली सहकारिताओं को खाद्य प्रसंस्करण एवं हस्तशिल्प में सहकारी–आधारित रोजगार प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म ऋणों और बाजार सहायता के माध्यम से सुदृढ़ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, सरकार अगले दो वर्षों में शेष 2,500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ (जीएसएस) स्थापित करेगी। यह पहल स्थानीय स्तर पर आवश्यक सेवाएं और संसाधन उपलब्ध करवाने द्वारा किसानों की सहायता करेगी तथा राजस्थान में सहकारिता आंदोलन को और अधिक सुदृढ़ करेगी।

3.1.3 महिला एसएचजी को ड्रोन तकनीक से सशक्त करने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना जैसी पहलों का कार्यान्वयन किया जायेगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री–किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि ऋणों का वितरण और राजस्थान महिला निधि क्रेडिट सहकारी सोसाइटी लिमिटेड जैसी पहलों के माध्यम से वित्तीय पहुँच को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त, सरकार लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करेगी। प्रत्येक ब्लॉक से दस महिलाओं को मान्यता दी जायेगी, और उनकी कार्यकुशलता और डिजिटल सम्पर्क बढ़ाने हेतु उन्हें टैबलेट प्रदान किये जायेंगे।

3.1.4 **आजीविका केन्द्रित पहलः** लखपति दीदी योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना जैसी लक्षित पहलों के माध्यम से राज्य, महिलाओं की उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी को बढायेगा और लैंगिक

समानता को प्रोत्साहित करेगा। 23 अप्रेल 2025 तक, लखपति दीदी पहल से 8.09 लाख महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सशक्त बनाया जा चुका है। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट सहकारी सोसायटी लिमिटेड को एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी/निगम के रूप में उन्नत किया जायेगा, जिसके माध्यम से एसएचजी सदस्यों को 1.5 प्रतिशत की कम ब्याज दर पर एक लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अलावा, लाडो प्रोत्साहन योजना के अधीन प्रदान किये जाने वाले बचत बॉण्ड की राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, राज्य एसएचजी को बाजार अवसरों से जोड़ने के लिए "महिलाओं के लिए डिजिटल रोजगार बाज़ार" विकसित करेगा।

3.1.5 **ग्रामीण इन्क्यूबेशन और सूक्ष्म उद्यमों को सुदृढ़ करना:** शैक्षणिक सहयोग के साथ ग्रामीण व्यवसाय इन्क्यूबेशन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे, जो स्थानीय स्वरोजगार सृजित करने के लिए सूक्ष्म उद्यमियों को प्रारंभिक पूंजी और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। कृषि सखी नेटवर्क के माध्यम से अन्तिम चरण तक नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए जागरूकता और पहुँच में सहायता दी जायेगी।

3.1.6 **कृषि उद्यमिता और कृषि–संबद्ध आजीविकाएं:** ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण, बाज़ार तक पहुँच और ऋण सुकर बनाने हेतु संरचित ढाँचा सृजित कर कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जायेगा, कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं (प्राथमिक प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज) में निवेश को प्रोत्साहित किया जायेगा और किसान–उद्योग संबंधों को सुदृढ़ किया जायेगा। कृषि–आधारित स्थानीय उद्योगों में स्थानीय युवाओं को कार्य पर रखे जाने से इन पहलों को अधिक स्थायित्व और स्थिरता मिलेगी, जिससे एक सकारात्मक चक्र का निर्माण होगा। स्थानीय युवाओं का स्थानीय ज्ञान और प्रतिबद्धता इन पहलों की सफलता को बढायेगी, जबकि उनका रोजगार प्रवास को कम करेगा, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा और राज्य की जीडीपी को बढ़ावा देगा। यह योजना अधिक मजबूत और सतत समुदायों का निर्माण करेगी, जो राज्यव्यापी प्रगति के आधार के रूप में कार्य करेगी।

3.1.7 **खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना:** आरआईपीएस 2024 के द्वारा राज्य, कृषि–आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करते हुए, खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार संचालित करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएम–एफएमई) जैसी योजनाओं के अधीन प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने में सूक्ष्म–उद्यमों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सहायता प्रदान की जायेगी, जिससे फसल कटाई के पश्चात् होने वाली हानि को कम किया जा सके और स्थानीय रोजगार सृजित किये जा सकें।

3.1.8 **कृषि आधारित कारबारों और ग्रामीण शिल्प के लिए सहायता:** स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने की प्रमुख पहलों में, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) नीति 2024 और फसलों

एवं अन्य उत्पादों में अद्वितीय जिला क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पंच गौरव कार्यक्रम का लाभ उठाना सम्मिलित हैं। पंच गौरव कार्यक्रम के अधीन, स्थानीय आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले से प्रमुख पांच तत्व उपदर्शित किये गये हैं– एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक फसल, एक जिला एक वनस्पति प्रजाति, एक जिला एक खेल और एक जिला एक पर्यटन गंतव्य। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना

जैसी कृषक–केन्द्रित योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी ध्यान केंद्रित किया जायेगा, जो कृषि सखी–संचालित से समर्थित जागरूकता प्रयासों को अपनाते हुए कृषकों के स्वयं के खेत पर गुणवत्तापूर्ण बीज के उत्पादन को बढ़ावा देगा। राज्य, कृषि योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन और डीबीटी के लिए एकल विंडो ऑनलाइन एकीकृत पोर्टल (राज किसान साथी पोर्टल) के साथ कृषि कार्य में सरलता के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करेगा।

3.1.9 हस्तशिल्प–आधारित स्वरोजगार और शिल्प कौशल को प्रोत्साहित करनाः हस्तशिल्प आधारित आजीविकाएं, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग हैं, को पोषित किया जायेगा। राजस्थान गैर–कृषि विकास एजेंसी (आरयूडीए), माटी कला बोर्ड और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जैसी संस्थाएं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), का लाभ उठाया जायेगा, जो गैर–कृषि सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों के लिए एक मुख्य ऋण–संबद्ध सब्सिडी पहल के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2024–25 में, खादी सेक्टर (19,956), आर्थिक कामगार प्रोत्साहन स्कीम (9,828) और पीएमईजीपी (2,700) के माध्यम से महत्वपूर्ण स्वरोजगार का सृजन किया गया था।

3.2 मजदूरी आधारित रोजगार[2]

3.2.1 **गारण्टी स्कीमों (एमजीएनआरईजीएस) के माध्यम से रोजगार सुरक्षाः** राज्य, श्रम–प्रधान कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहित करके, पशुपालन और मत्स्यपालन जैसे संबद्ध सेक्टरों की सहायता करके और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर–कृषि रोजगार के अवसरों तक पहुंच को सुकर बना कर, अप्रत्यक्ष बेरोजगारी पर ध्यान देगा और भूमिहीन श्रमिक के लिए अवसर उपलब्ध करवायेगा। यह, ग्रामीण परिवारों के लिए उत्पादक कार्य सुनिश्चित करने, अल्प रोजगार को कम करने और आय सुरक्षा बढ़ाने द्वारा एमजीएनआरईजीएस सिद्धांतों को एकीकृत करने के साथ संरेखित है। वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक राजस्थान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस) ने अनुसूचित जाति के लिए 4,106.65 लाख, अनुसूचित जनजाति के लिए 4,303.80 लाख और अन्य समुदायों के लिए 10,926.67 लाख व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए 19,337.13 लाख व्यक्ति–दिवस को रोजगार सृजित किया, जो समावेशी ग्रामीण रोजगार प्रदान करने में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है।

[2]इस नीति में प्रक्रिया संबंधी स्पष्टता और हस्तक्षेप संरेखण के सामंजस्य हेतु ''मजदूरी आधारित रोजगार'' के रूप में अभिहित प्रवर्ग एक व्यापक वर्गीकरण के रूप में कार्य करता है, जिसमें रोजगार के वे समस्त तरीके समाहित हैं जहां व्यक्तियों को वेतन या मजदूरी प्राप्त होती है। इसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों सेक्टरों में 'सेवा रोजगार' के अन्तर्गत पारंपरिक रूप से वर्गीकृत पद भी सम्मिलित हैं।

3.2.2 राज्य की कृषि रोजगार रणनीतियों को एमजीएनआरईजीएस द्वारा महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलता है, जो कम से कम 125 दिवसों (मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना के अधीन अतिरिक्त 25 दिवस सम्मिलित करते हुए) के मजदूरी–आधारित रोजगार की गारंटी देता है, जो कृषि के ऑफ–सीजन के दौरान, समीक्षात्मक सुरक्षा कवच प्रस्तावित करता है। यह पहल न केवल आय सुरक्षा को बढ़ाती है किन्तु अतिरिक्त श्रम को उत्पादक गतिविधियों में लगाकर अप्रत्यक्ष बेरोजगारी को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करती है। सुरक्षा कवच प्रदान करने के अलावा एमजीएनआरईजीएस सिंचाई नहरों, ग्रामीण सड़कों, वैयक्तिक / समुदाय–आधारित जल संचयन संरचनाओं और आंगनबाड़ी केन्द्रों जैसी सामुदायिक सुविधाओं जैसी स्थायी आस्तियों के सृजन को प्राथमिकता देगा जो सतत विकास को गति देते हैं। आस्ति–निर्माण का यह दृष्टिकोण लचीलापन बढ़ाता है और जमीनी स्तर पर कौशल विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। यह ग्रामीण कर्मकारों को विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान करेगा, जिससे उनकी दीर्घकालिक रोजगार क्षमता बढ़ेगी और समावेशी आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।

3.2.3 **श्रम–प्रधान सार्वजनिक कार्य और अवसंरचनाः** जल संचयन और ग्रामीण सड़कों जैसे क्षेत्रों में श्रम–प्रधान सार्वजनिक कार्यों का विस्तार किया जायेगा। प्रमुख, मध्यम और लघु परियोजनाओं (जैसे–राम जल सेतु लिंक परियोजना) के माध्यम से सिंचाई क्षेत्र को विस्तारित किया जायेगा और सूक्ष्म–सिचांई (प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना) को प्रोत्साहित किया जायेगा। ये अवसंरचनात्मक विकास प्रत्यक्ष मजदूरी–आधारित रोजगार का सृजन करेंगे और कृषि उत्पादकता को बढ़ाते हुए अप्रत्यक्ष बेरोजगारी में संभावित कमी लायेंगे।

3.2.4 **ग्रामीण आजीविका का विविधीकरणः** पारंपरिक कृषि से परे ग्रामीण क्षेत्र–आधारित रोजगार को, विशेष रूप से जनजातीय उप–योजना क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जायेगी। इसमें एनटीएफपीएस (गैर–इमारती लकड़ी वन उत्पाद) में मूल्यवर्धन के साथ वनाधारित अर्थव्यवस्था विकसित करना और पारिस्थितिकी एवं कृषि–पर्यटन केन्द्रों को विकसित करना सम्मिलित है।

3.2.5 **ग्रामीण उद्यमों और सहकारिताओं की सहायताः** आरआईपीएस 2024 और एमएसएमई नीति 2024 जैसी सक्षम नीतियों का लाभ उठाया जायेगा, जो ग्रामीण और कृषि प्रसंस्करण उद्यमों के लिए लाभप्रद उपबंध सम्मिलित करती हैं। राज्य, सूक्ष्य ऋण प्रदान करने और बाजार प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के द्वारा स्वयं सहायता (एसएचजी) को सुदृढ़ करेगा। वह सेक्टरों में सहकारी आधारित रोजगार जैसे खाद्य प्रंसस्करण और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करेगा।

3.2.6 **डेयरी सेक्टर का सुदृढ़ीकरणः** छोटे पैमाने के डेयरी किसानों और उद्यमियों की सहायता करते हुए पूरे राज्य में डेयरी बूथों का विस्तार किया जायेगा। यह विशिष्टतया युवा और

महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र–आधारित रोजगार उत्पन्न करेगा और स्थानीय डेयरी आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करेगा।

3.2.7 **वानिकी और जैव विविधता के अवसरः** ग्रीन अरावली विकास परियोजना द्वारा पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन के माध्यम से मजदूरी आधारित रोजगार उत्पन्न किया जायेगा। पहलों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, सूक्ष्म जल संरचना निर्माण और औषधीय पौधों की खेती सम्मिलित है, जिससे नर्सरी कार्य, पौधारोपण, निर्माण, खेती, प्रसंस्करण और विपणन में रोजगार सृजित होंगे।

4. द्वितीयक सेक्टर

4.1 स्वरोजगार

4.1.1 **एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए सक्षम नीतियांः** राजस्थान में एमएसएमई सेक्टर रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। इस सामर्थ्य को पहचानते हुए, राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट सम्मिट 2024 के दौरान एमएसएमई के विकास के समर्थन के लिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आरआईपीएस) 2024, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024, राजस्थान ऑडीऑपी नीति 2024 और पंच गौरव कार्यक्रम को सम्मिलित करते हुए विभिन्न नीतियां और स्कीमें प्रस्तावित की हैं।

4.1.1.1 **आरआईपीएस 2024:** इसका उद्देश्य राजकोषीय प्रोत्साहन, छूट एवं सुव्यवस्थित नियामक प्रक्रियाओं द्वारा निवेशों का आकर्षित करना है, जो रोजगार सृजन हेतु वितरित विकास को प्रोत्साहित करने, आर्थिक वृद्धि को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन एवं कृषि–प्रसंस्करण जैसे प्राथमिक सेक्टरों पर केन्द्रित होने में सहायता करेगा। आरआईपीएस 2024 के अधीन 10,288.74 करोड़ रुपये के विनिधान को सुकर बनाते हुए और 57,391 रोजगार सृजित करते हुए 1409 पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किये गये हैं। यह स्वरोजगार और जॉब सृजन को गति प्रदान करने में और सक्षम ढाँचे के लाभ उठाने पर नीति के फोकस को सुढ़ृढ़ करने में निवेश प्रोत्साहन स्कीमों की सफलता को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त अजमेर (124 प्रमाण–पत्र, 553.24 करोड़ रुपये विनिधान, 2,371 रोजगार) और जयपुर ग्रामीण (283 प्रमाण–पत्र, 1066.33 करोड़ रुपये का विनिधान, 5,237 रोजगार) महत्वपूर्ण प्रगति प्रदर्शित करते हैं, जो एमएसएमई विकास के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में नीति की प्रभाविता को दर्शाती है।

4.1.1.2 आरआईपीएस 2024 के अधीन, दो प्रमुख प्रोत्साहन विनिर्माण, सेवा, सूर्योदय योजना, एमएसएमई और हरित पहलों जैसे सेक्टरों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से डिजाइन किये गये हैं। ये प्रोत्साहन सुनिश्चित करते हैं कि उद्योग, अतिरिक्त रोजगार सृजन पर बल देते हुए एक सुदृढ़ स्थानीय कार्यबल के

साथ परिचालन स्थापित करें जिससे आरआईपीएस 2024 के विनिधान लक्ष्य राजस्थान की रोजगार आकांक्षाओं के साथ संरेखित हो। ये निम्नलिखित रूप से हैंः–

(क) **रोजगार सृजन सब्सिडीः** यह 7 वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) में नियोक्ता के अभिदाय की 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति द्वारा स्थानिकों को काम पर रखे जाने को प्रोत्साहित करती है, यह केवल राजस्थान के मूल निवासियों पर लागू होती है। यह कारबारों के लिए काम पर रखे जाने की लागत को कम करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि रोजगार के एक महत्वपूर्ण हिस्से का लाभ, विशेष रूप से एमएसएमई और हरित सेक्टरों में, राजस्थान के निवासियों को प्राप्त हो, जिससे स्थानीय आर्थिक विकास को गति मिले।

(ख) **रोजगार बूस्टरः** यह उन उद्यमों को पुरस्कृत करके व्यापक रोजगार सृजन को लक्षित करता है जो उनकी परियोजना प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम रोजगार सीमा से अधिक रोजगार सृजित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक विनिर्माण फर्म जो 500 करोड़ रुपये का निवेश करती है, और 400 श्रमिकों को रोजगार देती है; अपेक्षित 250 के 1.5 गुणा है, 10 प्रतिशत बूस्टर के लिए अर्हित होते हैं, इससे उसकी टर्नओवर लिंक्ड इंसेटिव (टीएलआई) दर 10 वर्षों के लिए 1.4 प्रतिशत से बढ़कर 1.54 प्रतिशत हो जाती है। उच्चतर स्लैब, निर्धारित सीमा से 2.5 गुणा से अधिक होने के लिए 15 प्रतिशत तक प्रस्ताव प्रदान करते हैं, जो फर्मों को सेवाओं और विनिर्माण जैसे सेक्टरों में अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए बढ़ावा देते हैं।

4.1.1.3 **राजस्थान एमएसएमई नीति 2024**ः यह नीति वित्तीय सहायता, अवसंरचनात्मक विकास और कारबार सुगमता की पहलों के माध्यम से एमएसएमई को सहायता प्रदान करती है। यह प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि प्रोत्साहित करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और निर्यात प्रोत्साहन पर जोर देती है।

4.1.1.4 **लघु उद्यमों के लिए कारबार में सुगमताः** राज्य, आवासीय क्षेत्रों से जहां अनुज्ञात हो, स्टार्टअप्स/छोटे सेवा उद्यमों के संचालन को जारी रखने के द्वारा संभावित रूप से सरल रजिस्ट्रीकरण या सहायता प्रस्तावित करके, एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए विनियमों को सरल बनाने और अनुपालन का भार कम करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

4.1.1.5 **उद्योग भागीदारी और बाजार संपर्कः** रोजगार अवसरों के सृजन हेतु सरकार, एमएसएमई एवं स्टार्टअप्स को बड़े उद्योगों, शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाओं, थिंक टैंक तथा बाजारों से जोड़ेगी। इससे एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होगा जो रोजगार सृजन को गति देगा और अधिगम निरंतरता को सुकर बनायेगा।

4.1.1.6 **स्टार्टअप्स विस्तार के लिए आईस्टार्टः** राज्य भर में नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य ने राजस्थान स्टार्टअप्स कार्यक्रम का लोकार्पण किया है। यह प्रमुख पहल युवा उद्यमकर्ताओं को अपने व्यवसाय प्रारंभ करने और उनका विस्तार

करने में सहायता प्रदान करती है, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन में योगदान मिलेगा।

4.1.1.7 **सह–कार्य स्थल और नवाचार हबः** राज्य, नगर एवं अर्ध–नगरीय क्षेत्रों में लोक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से सह–कार्य स्थल विकसित करेगा। इससे स्टार्टअप्स अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन मिलेगा, नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण उद्यमकर्ताओं के लिए रोजगार सृजित होंगे।

4.1.1.8 **समावेशी और न्यायसंगत रोजगारः** राज्य, पीडब्लूडी आधारित सूक्ष्म–उद्यमों को प्रोत्साहित करने हेतु सीएसआर और एनजीओ की भागीदारी से पीडब्लूडी (दिव्यांगजन) नवाचार और आजीविका इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त राज्य प्रथम पीढ़ी उद्यमकर्ताओं के लिए पूंजी अनुदान उपलब्ध कराते हुए एक एससी/एसटी उद्यमकर्ता विकास निधि स्थापित करेगा।

4.1.2 **रोजगार सृजन के लिए क्षेत्रीय पहलः** राजस्थान सरकार का विभिन्न सेक्टरों में स्वरोजगार और रोजगार सृजन, दोनों को प्रोत्साहित करने के द्वारा रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित है। उदयपुर (2,026.56 करोड़ रुपये, 2,436 जॉब) और भिवाड़ी (864.67 करोड़ रुपये, 2,494 जॉब) जैसे जिलों में निवेश, टेक्सटाइल और कृषि–प्रसंस्करण में क्षेत्रीय विकास को दर्शाता है, जो उद्योग विशिष्ट हस्तक्षेपों के माध्यम से निजी रोजगारों को सुकर बनाने के लिए नीति उद्देश्यों को प्रबल करता है।

4.1.2.1 **टेक्सटाइल एवं परिधानः** राज्य, वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों का उन्नयन करते हुए पीएम–मित्र (प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान) योजना के अधीन वस्त्र पार्कों का विस्तार करेगा और सुसंगत नीतियों के माध्यम से रोजगार–संबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करेगा। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 और राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास नीति 2024 जैसी मूल नीतियाँ टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ और सहायता प्रदान करेंगी।

4.1.2.2 **हस्तशिल्प और हथकरघाः** राजस्थान ओडीओपी नीति 2024 अद्वितीय जिला उत्पादों को वित्तीय प्रोत्साहन एवं बाजार संपर्क प्रदान कर प्रोत्साहित करती है। राज्य विपणन सहयोग में वृद्धि करके कारीगर– आधारित उद्योगों का विस्तार करेगा तथा जिला–विशिष्ट पहलों द्वारा समर्थित सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करेगा।

4.1.2.3 **निर्माण और अवसंरचनाः** राज्य, कार्यस्थल पर कार्यरत श्रमिकों के प्रमाणन और उन्नयन के प्रयासों के साथ सड़कों, आवास और नगरीय विकास में श्रम–प्रोत्साहन सार्वजनिक कार्यों को प्राथमिकता देगा।

4.1.2.4 **खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि–आधारित उद्योगः** राज्य मिनी फूड पार्कों की स्थापना, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और कृषि उद्यमियों को समर्थन देकर मूल्य शृंखला विकास को बढ़ावा देगा और वर्तमान नीतियों का प्रभावी उपयोग करेगा।

4.1.2.5 **लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंगः** राज्य, लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास करेगा और वेयरहाउसिंग प्रबंधन में कार्यक्रम प्रारंभ करेगा, जिससे युवाओं को उद्योग–संबंधित व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके और रोजगार के अवसर सृजित हों। इस दिशा में राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025 एक सक्षमकारी ढाँचे के रूप में कार्य करेगी।

4.2 मजदूरी आधारित रोजगार[3]

4.2.1 **क्षमता विकासः** उच्च मांग वाले क्षेत्रों जैसे मशीनरी संचालन, गुणवत्ता नियंत्रण और सन्निर्माण प्रबंधन में क्षमता वृद्धि हेतु तकनीकी संस्थानों के साथ सहयोग किया जायेगा। ये कार्यक्रम श्रमिकों की रोजगार क्षमता को राजस्थान के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और अन्य राज्यों में बढायेंगे।

4.2.2 **जॉब मैचिंग और क्षेत्रीय विकास को सुकर बनानाः** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई). इन्क्यूबेशन केंद्रों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में मेगा रोजगार मेला और कैंपस भर्ती अभियान आयोजित किये जायेंगे, ताकि सक्षम श्रमिकों को टेक्सटाईल (जैसे पीएम मित्र योजना), सन्निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर के नियोजकों से जोड़ा जा सके। कर लाभ और नियोजक भागीदारी, स्थानीय और क्षेत्रीय काम पर रखे जाने को और प्रोत्साहित करेंगे, जिससे औद्योगिक विस्तार से श्रमिकों को लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

4.2.3 **अंतरराष्ट्रीय रोजगार अवसरों की खोजः** राज्य, अंतरराष्ट्रीय रोजगार एजेंसियों के साथ भागीदारी कर सक्षम श्रमिकों को विदेशस्थ विनिर्माण और सन्निर्माण भूमिकाओं में प्रमाणित तथा स्थापित करेगा। सुनिश्चित सुरक्षित और निश्चित अंतरराष्ट्रीय रोजगार हेतु प्रस्थान–पूर्व अनुकूलन प्रशिक्षण (पीडीओटी), विधिक दस्तावेजीकरण और अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुपालन जैसी सहयोगी सेवाएं प्रदान की जायेगी।

---

[3]इस नीति में प्रक्रिया संबंधी स्पष्टता और हस्तक्षेप संरेखण के सामंजस्य हेतु "मजदूरी आधारित रोजगार'' के रूप में अभिहित प्रवर्ग एक व्यापक वर्गीकरण के रूप में कार्य करता है, जिसमें रोजगार के वे समस्त तरीके समाहित हैं जहां व्यक्तियों को उनके श्रम के बदले वेतन या मजदूरी प्राप्त होती है। इसमे निजी एवं सार्वजनिक दोनों सेक्टरों में सेवा रोजगार के अन्तर्गत पारंपरिक रूप से वर्गीकृत पद भी सम्मिलित है।

4.2.4 **अवसंरचना विकासः** मुख्यमंत्री जन आवास योजना और ग्रामीण संपर्क कार्यक्रमों जैसी विभिन्न योजनाओं के अधीन सड़क, आवास, सिंचाई, विद्युत और नगरीय विकास में निवेश को प्राथमिकता दी जायेगी। ये परियोजनाएं सन्निर्माण तथा संबंधित सेक्टरों में प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेंगी साथ ही निजी सेक्टर वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए दीर्घकालिक आधार तैयार करेंगी।

4.2.5 **लोक कार्य और अवसंरचना विकासः** सड़क, आवास और नगरीय विकास जैसे क्षेत्रों में श्रम–प्रधान लोक कार्य किये जायेंगे, जिससे अकुशल और अर्द्ध–कुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी आधारित रोजगार सृजित होंगे।

4.2.6 **महिलाओं के लिए अवसंरचना और कार्यस्थल समर्थनः** सभी मध्यम से बड़े उद्यमों में क्रेच सुविधाएं, सुरक्षित परिवहन और मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाएं अनिवार्य की जायेंगी। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक क्लस्टरों में सुरक्षित आवागमन के लिए पिंक बस योजना का विस्तार किया जायेगा।

4.3 स्थानीय रोजगार

4.3.1 **जिला–विशिष्ट औद्योगिक पहलेंः** ओडीओपी और पंच गौरव जैसी पहलें जिला–विशिष्ट शिल्प और उद्योगों के माध्यम से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देंगी, जैसे जनजातीय क्षेत्रों में लौह–शिल्प और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण। ये प्रयास स्थानीय संसाधनों और परंपराओं का उपयोग कर सामुदायिक सुदृढ़ता को बढ़ायेंगे।

4.3.2 **स्थानिकों को काम पर रखे जाने को प्रोत्साहनः** कर लाभ और अनुदान नियोक्ताओं को राजस्थान के भीतर विशेष रूप से पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों में से काम पर रखने को प्राथमिकता देने हेतु प्रोत्साहित करेगा। इससे राज्य का औद्योगिक आधार सुदृढ़ होगा तथा सक्षम प्रतिभा को स्थानीय स्तर पर बनाये रखने में सहायता मिलेगी।

4.3.3 **शिल्पकार क्लस्टर और औद्योगिक हब का विकासः** आर्थिक रूप से प्रतिकूल क्षेत्रों में शिल्पकार क्लस्टर और औद्योगिक हब स्थापित किये जायेंगे। ये हब संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोन्नत करते हुए, लघु विनिर्माण और हस्तशिल्पों में रोजगार सृजित करेंगे।

4.3.4 **हरित रोजगार और स्थिरताः** राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, 2024 पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ सतत रोजगार सृजन को संरेखित करते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण और संस्थापन में स्थानीय रोजगार को संचालित करेगी।

5. तृतीयक सेक्टर

5.1 स्वरोजगार

5.1.1 **पर्यटन उद्यमिता को प्रोत्साहित करनाः** पर्यटन सेक्टर, विस्तारित आतिथ्य सेवाओं, धरोहर पर्यटन, वेलनेस पर्यटन एवं ईको–टूरिज्म पहलों के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं प्रस्तावित करता है। राज्य होम–स्टे, रिसॉर्ट एवं ईको–टूरिज्म उद्यमों के लिए पूंजी अनुदान उपलब्ध करवायेगा, जिसे राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, 2024 जैसी नीतियों का समर्थन प्राप्त होगा जो पर्यटन विकास को प्रोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान पर्यटन नीति, 2024, उदयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग (सीईटीटी) के माध्यम से प्रशिक्षण के साथ, होम–स्टे का समर्थन करेगी। इसके अतिरिक्त अनुकूलित अनुदान को सम्मिलित करते हुए और व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए तुलनात्मक निम्नतर ब्याज दरों पर ऋण प्रस्तावित करवाने की संभावना की खोज करते हुए, ग्रामीण क्षेत्र–विनिर्दिष्ट दृष्टिकोण पर बल दिया जायेगा।

5.1.2 **आईटी/आईटीई और डिजिटल स्टार्टअप्स का समर्थन करनाः** राज्य, तकनीकी आधारित कारबारों की स्केलिंग में उद्यमियों की सहायता करते हुए, आईस्टार्ट राजस्थान स्टार्टअप्स कार्यक्रम के माध्यम से नवाचार और स्वरोजगार पोषित करेगा। इसके अतिरिक्त, सह–कार्यस्थल और नवाचार हब, पीपीपी मॉडल के माध्यम से, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सहायता का लक्ष्य विशेष रूप से युवा और महिला उद्यमियों के लिए रखेगा।

5.1.3 **नगरीय सूक्ष्म–उद्यमों को सुकर बनानाः** राज्य, स्वरोजगार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र, नगरीय अनौपचारिक सेक्टर में आजीविका का समर्थन करेगा, जैसे कि डेयरी बूथों का विस्तार करना, स्थानीय उद्यमियों का समर्थन करना। इसके अतिरिक्त, यह आवश्यक अवसंरचना और डिजिटल पीओएस कियोस्कों के साथ समावेशी विक्रय ज़ोनों को स्थापित करेगा। राजस्थान में पथ विक्रय, पथ विक्रेताओं को राजस्थान के रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण हितधारक बनाते हुए, 1,93,563 आजीविकाओं (एमओएचयूए 2022, लोकसभा अतारांकित प्रश्नः 3452) की सहायता करता है। राज्य, स्वच्छता सेवाओं में मर्यादापूर्ण स्वरोजगार के लिए नवाचार मॉडलों जैसे कि सैनिप्रेन्योर (स्वच्छता उद्यमियों) को प्रोत्साहित करेगा।[4] इसके अतिरिक्त, ई–कॉमर्स लिंकेज और ब्रांडिंग सपोर्ट के साथ ज़ोनबद्ध नगरीय सूक्ष्म उद्यम कलस्टर (जैसे कि टेक्सटाईल अपसाईकलिंग, खाद्य हब) भी प्रोत्साहित किये जायेंगे।

[4]चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (सीएम डब्ल्यू एसएसबी) ने दलित भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैबर (डीआईसीआई) के साथ मानवीय रूप से कचरा बटोरने वाले सभी सफाईकर्मियों को मशीनों के प्रयोग द्वारा सीवर प्रणाली के रखरखाव के लिए निविदाएं देकर उन्हें "सफाई उद्यमी" बनाने का विनिश्चय किया है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा, सम्मानजनक

स्वरोजगार और उद्यमिता के माध्यम से स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना है। राजस्थान में भी इसी तरह की पहल से स्वस्च्छता सेक्टर में रोजगार सृजित करने और सफाईकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता होगी।

5.1.4 **सक्षमकारी नीतियों का उपयोग:** राज्य, सेवा क्षेत्र के उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता, अवसंरचना और परिष्कृत कारबार वातावरण प्रस्तावित करने के लिए उपयोगी नीतियों, जैसे कि आरआईपीएस, 2024 (प्राथमिक सेक्टरों जैसे कि पर्यटन पर ध्यान देने के साथ) और एमएसएमई नीति, 2024 का उपयोग करेगा। वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए लघु सेवा उद्यमों के लिए विनियमों का सरलीकरण किया जायेगा।

5.1.5 **बाजार संपर्क बढ़ाना:** राज्य सेवा क्षेत्र के एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बड़े उद्योगों, संस्थानों और बाजारों से जोड़ेगा। इसके अतिरिक्त, उद्यमिता की क्षमता को बढ़ाने के लिए कैरियर सुविधा केन्द्रों के माध्यम से डिजिटल साक्षरता, व्यवसाय प्रबंधन इत्यादि से संबंधित अल्पकालिक पाठ्यक्रमों तक पहुँच प्रदान करेगा।

5.1.6 **महिला आधारित रोजगार:** महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए "बीमा सखी" योजना (एलआईसी सहित) आरंभ की जा रही है। यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को जिन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली हो कैरियर बीमा अभिकर्ता के रूप में प्रशिक्षण एवं कार्य के लिए तीन वर्ष तक प्रदर्शन–आधारित वृत्तिका प्रदान करती है।

5.2 मजदूरी आधारित रोजगार

5.2.1 **क्षेत्रीय जॉब सृजन:** राज्य उच्च–विकासशील तृतीयक सेक्टरों जैसे पर्यटन एवं आतिथ्य, लॉजिस्टिक्स एवं वेयर हाउसिंग और आईटी/आईटीई में मजदूरी आधारित रोजगार को प्रोत्साहित करेगा।

5.2.2 **जॉब मैचिंग और पहुँच को सुकर बनाना:** राज्य, व्यवस्थित कैरियर सुविधा के माध्यम से बड़े पैमाने पर मजदूरी आधारित रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता प्रदान करेगा। राज्य मेगा रोजगार मेले आयोजित करेगा, कैंपस भर्ती अभियान को सुदृढ़ करना (आईटीआई. पॉलिटेक्निक एवं उच्च शिक्षा) तथा कैरियर की सेवाओं (परामर्श, बायोडाटा लेखन, रोजगार तत्परता) को बढ़ायेगा।

5.2.3 **युवा आधारित रोजगार:** निजी सेक्टर कैरियर में युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, उनके प्रथम निजी सेक्टर रोजगार के लिए ₹10,000 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान करती है। आवेदन ईईएमएस (रोजगार विनिमय प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे।

5.2.4 **विदेश में रोजगार अवसरों का सृजन:** राज्य विशिष्टतया उच्च मांग वाले सेक्टरों (सन्निर्माण, स्वास्थ्य, आईटी, आतिथ्य, विनिर्माण) में श्रमिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय मजदूरी आधारित रोजगार अवसरों का विस्तार करेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष प्लेसमेन्ट्स के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार एजेंसियों के साथ भागीदारी की जायेगी, विधिक दस्तावेज, वीजा, कार्य अनुज्ञा पत्र एवं अनुपालन हेतु सहयता सेवाएँ प्रदान की जायेगी, जिससे सुरक्षित

प्रवासन एवं स्थिर आय सुनिश्चित हो सके। यह व्यापक सहायता सुरक्षित प्रवासी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करेगी और श्रमिकों को विदेशी रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका में सुधार करते हुए स्थिर आय सुनिश्चित करने में सहायता करेगी।

5.2.5 **गिग अर्थव्यवस्था एवं गतिशीलता:** राज्य विशेषतः आकांक्षी जिलों में डिजिटल कार्यक्रमों के माध्यम से गिग अर्थव्यवस्था (परिदान, वेयर हाउसिंग, ई–मोबिलिटी) में भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। इसके अतिरिक्त छोटे शहरों से मजदूरी रोजगार केंद्रों तक श्रमिकों को जोड़ने हेतु रियायती परिवहन और आवास सहायता के माध्यम से गतिशीलता को बढ़ायेगा। इसके अतिरिक्त, सड़क निर्माण और आवास विकास जैसी शहरी अवसंरचना परियोजनाएं अस्थायी या दीर्घकालिक मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध करायेंगी, जिससे श्रमिकों और शहरी विकास दोनों को लाभ होगा।

5.2.6 **श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन:** भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से प्रभावी चार व्यापक श्रम संहिताओं को लागू कर औद्योगिक संबंधों के परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन किया है। राज्य सरकार इस नये और विकासशील अवसर का और लाभ उठायेगी और गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों सहित अपने नियोजित कार्यबल को सभी आवश्यक लाभों को बढ़ाने द्वारा, आर्थिक विकास के लिए इन संहिताओं की क्षमता का उपयोग करेगी।

5.2.7 **सार्वजनिक विनिधान आधारित जॉब:** राज्य सामाजिक अवसंरचना (स्वास्थ्य, शिक्षा) और पीएसयू के पुनरुद्धार (परिवहन, वेयर हाउसिंग) में सार्वजनिक विनिधान का लाभ उठाकर सेवा क्षेत्र में संबद्ध मजदूरी आधारित रोजगार का सृजन करेगा।

5.2.8 **समावेशी और साम्यपूर्ण रोजगार:** राज्य, प्रमाणित दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) को काम पर रखने वाले निजी नियोक्ताओं को मजदूरी सब्सिडी प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त राज्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति युवाओं के प्लेसमेंट को, सुकर बनाने सहित सार्वजनिक–निजी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, एकीकृत करेगा।

5.3 स्थानीय रोजगार

5.3.1 **जिला और क्षेत्रीय रणनीतियाँ:** राज्य जिला–स्तरीय रोजगार योजनाओं को संस्थागत रूप देकर और कैरियर सुविधा केन्द्रों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण अपनाकर स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करेगा। जिला–विशिष्ट पर्यटन स्थलों और उत्पादों के माध्यम से, स्थानीय आर्थिक क्षमता को बढ़ाने हेतु ओडीओपी नीति 2024 और पंच गौरव कार्यक्रम जैसी राज्य योजनाओं का लाभ उठाया जायेगा।

5.3.2 **विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए लक्षित समर्थन:** राज्य टीएसपी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी/कृषि–पर्यटन के विकास और जनजाति उद्यमियों को सहायता प्रदान करके स्थानीय रोजगार को बढ़ायेगा। आकांक्षी जिलों में स्थानीय अवसर सृजित करने के लिए डिजिटल

सेवाओं और ग्रामीण शिल्प पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकांक्षी रोजगार इनक्यूबेटर स्थापित किये जायेंगे।

5.3.3 **स्थानिकों को काम पर रखे जाने को प्रोत्साहनः** राज्य, स्थानीय टैलेंट पूल विशेषकर जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में से काम पर रखे जाने के लिए स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ाते हुए निजी सेक्टर के नियोक्ताओं के रोजगार प्रोत्साहन को बढ़ायेगा।

5.3.4 **नगरीय क्लस्टर और सामुदायिक सेवाओं का विकासः** राज्य ज़ोन–आधारित नगरीय सूक्ष्म– उद्यम क्लस्टरों का सृजन तथा समुदाय आधारित सेवाओं (सामाजिक अवसंरचना विनिधान से जुड़ी हुई) के विस्तार द्वारा स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करेगा।

6. सरकारी सेक्टरः

राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2001 में 165 प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 200 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है, (जनगणना 2001 और जनगणना 2011), और यह निरतर बढ़ रहा है। यह बढ़ता घनत्व बढ़ते हुए कार्यबल को समाहित करने हेतु रोजगार सृजन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसके साथ ही, बढ़ती जनसंख्या शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव बढ़ा रही है, जिससे संपूर्ण राज्य में समय पर और साम्यपूर्ण सेवा वितरण सुनिश्चित करने हेतु सरकारी रोजगार के विस्तार की आवश्यकता है। तृतीयक सेक्टर के सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य में सरकारी क्षेत्र को स्थिर रोजगार प्रदान करने और आवश्यक सार्वजनिक सेवाएँ उपलब्ध कराने में इसकी समीक्षात्मक भूमिका को रेखांकित करने के लिए स्पष्टतः संबोधित किया गया है। यह नीति सरकारी रोजगार अवसरों को तीन व्यापक श्रेणियोंः स्थायी, संविदात्मक और मानदेय आधारित भूमिकाओं में विभाजित करती है।

6.1 स्थायी कर्मचारी

6.1.1 **व्यवस्थित और पारदर्शी भर्तीः** राज्य सरकार, एक प्रमुख नियोक्ता के रूप में, सार्वजनिक सेक्टर रोजगार में दक्षता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगी और युवाओं के लिए विकासात्मक अवसर उपलब्ध करायेगी। राज्य लोक सेवा आयोग (आरपीएससी), राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड और राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के नेतृत्व में समयबद्ध भर्ती कैलेंडर के माध्यम से भर्ती प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जायेगा। यह व्यवस्था राज्य के बजट 2024–25 में घोषित आगामी पाँच वर्षों में लक्षित 4 लाख सरकारी नौकरियों की पारदर्शी और दक्षता भर्ती सुनिश्चित करेगी। 2025–26 के लिए हाल ही की बजट घोषणाओं (2025–26) में सरकारी विभागों और राज्य सार्वजनिक सेक्टर उपक्रमों में 1,25,000 कार्मिकों की भर्ती सम्मिलित है।

अतिरिक्त योजनाओं में वन विभाग में, 1,750 कार्मिक, 4,000 पटवारी और 10,000 विद्यालय अध्यापकों को काम पर रखने सहित आगामी वर्ष के लिए महत्वपूर्ण रोजगार पहल है। भर्ती के अतिरिक्त, राज्य एक सुदृढ़ प्रोत्साहन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के लिए समयबद्ध कैरियर उन्नति सुनिश्चित हो सके। इसे प्रदर्शन–आधारित प्रोत्साहनों द्वारा प्रेरणा अभिवर्द्धन तथा उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति बढ़ाने द्वारा सहायता की जायेगी।

6.1.2 **''5+5+10 पैरामीटर्स'' की भर्ती शिथिलीकरण नीति :** राजस्थान सरकार द्वारा कार्यान्वित ''5+5+10 पैरामीटर्स'' नीति राज्य सरकार की रोजगार में अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और पिछड़ा वर्ग (पि.व.) के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। यह नीति विभिन्न सीमांत प्रवर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान करती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को **5** वर्ष की आयु की छूट दी गयी है। अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी **5** वर्ष की आयु की छूट के पात्र होंगे। विशेष रूप से, अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों को सबसे महत्वपूर्ण **10** वर्ष की आयु की छूट प्रदान की जाती है।

6.1.3 **राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और संस्थाओं का पुनरुद्धार :** चयनित सार्वजनिक सेक्टर उपक्रमों (पीएसयू) और राज्य एजेंसियों को विशेष रूप से परिवहन, विद्युत, वेयरहाउसिंग और कृषि–प्रसंस्करण जैसे सेक्टरों में रोजगार सृजन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने हेतु पुनर्जीवित किया जायेगा। जहाँ साध्य होगा, सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से नयी भर्ती और शिक्षुता को प्रोत्साहित किया जायेगा।

6.2 संविदात्मक कर्मचारी

6.2.1 **विशिष्ट कार्यों हेतु निश्चित अवधि तक काम पर रखा जाना :** सरकार, विभागीय और योजना विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अध्यापकों, स्वास्थ्यकर्मियों, सूचना प्रौद्योगिकी कार्मिकों और 181 जैसी हेल्पलाइन सेवाओं के अनुभवी कर्मचारियों को निश्चित अवधि की संविदा पर काम पर रखेगी। राज्य, संविदा पर अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति करने वाले सभी विभागों के लिए एक मानकीकृत ढाँचा स्थापित करेगा।

6.2.2 **युवा इंटर्नशिप और अध्येतावृत्ति कार्यक्रम :** सरकारी विभागों में संरचित इंटर्नशिप और अध्येतावृत्ति कार्यक्रम युवा पेशेवरों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेंगे तथा उनकी रोजगार क्षमता में सुधार करेंगे, बेहतर रोजगार कार्यों की दिशा में मार्ग सृजित करेंगे।

6.3 मानदेय आधारित श्रमिक

6.3.1 **समुदाय–केंद्रित कार्यों की सहायता :** आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को समुदाय–आधारित सरकारी पहलों में उनकी सक्रिय संलग्नता के लिए मानदेय सहायता के साथ निरंतर आधार पर लगाया जायेगा।

6.3.2 **पारिश्रमिक आधारित पदों का विस्तार :** ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण में, सामाजिक अवसंरचना में विनिधान से संरेखित नये पारिश्रमिक आधारित कार्यों की संभावनाओं की खोज की जायेगी। ये पद, आय के अवसर प्रदान करने के साथ–साथ वंचित क्षेत्रों की सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

7. रोजगार सुकर बनाने हेतु अन्तर–क्षेत्रीय रणनीतियां

7.1 **रोजगार मेले, रोजगार अभियान और कैरियर सुविधाएं:** स्थानीय रोजगार आवश्यकताओं को संबोधित करने हेतु, जिला स्तरीय रोजगार योजनाएं संस्थाभूत/संस्थागत की जायेंगी, जिसमें टीएसपी क्षेत्रों एवं आकांक्षी जिलों पर विशेष बल दिया जायेगा।

7.1.2 स्थानीय रोजगार अवसरों को सुकर बनाने पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ उद्योग संघों एवं क्षेत्रीय कारबार नेटवर्क की भागीदारी में नियमित अंतराल पर मेगा रोजगार मेले आयोजित किए जायेंगे।

7.1.3 राजस्थान रोजगार पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और लक्षित आयोजनों के माध्यम से नियोक्ता–कर्मचारी संपर्क को मजबूत किया जायेगा जिससे विभिन्न सेक्टरों में कुशल एवं प्रभावी जॉब मैचिंग सुनिश्चित हो सके। इसके फलस्वरूप कौशल–जॉब मिसमैच तथा मांग–आपूर्ति अंतर विशेषतः विनिर्माण, सेवा एवं आईटी/आईटीई जैसे उच्च–विकासशील क्षेत्रों के संबोधन पर नीति के लक्ष्य को मजदूरी आधारित रोजगार और स्थानीय काम पर रखे जाने की पहलों, दोनों का समर्थन करते हुए पुनः प्रवर्तित करेगा।

7.1.4 नियोक्ताओं और पात्र युवाओं के बीच प्रत्यक्ष अनुबंध सुनिश्चित करने के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं उच्चतर शिक्षा संस्थानों में कैंपस भर्ती को गति देने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

7.1.5 राजस्थान कौशल विकास नीति 2025, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को उसके अवसंरचना के आधुनिकीकरण द्वारा उसके उन्नयन पर, उद्योग हितधारकों के साथ भागीदारी में नये विशिष्ट विद्यालयों एवं केंद्रों की स्थापना करके और निजी इकाइयों को इन विद्यालयों के प्रबंधन और पहल को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। निजी क्षेत्र की सहभागिता से पाठ्यक्रम में विशेषज्ञता, नवाचार और एक व्यावहारिक दृष्टिकोण लाना प्रत्याशित है। इन प्रस्तावित हस्तक्षेपों का लाभ उठाकर विश्वविद्यालय ऐसे तरीकों की खोज करेगा और भागीदारियों में संलग्न करके विशिष्ट उद्योग आधारित पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करेगा जो विदेशी रोजगार बाजार से प्रत्यक्षतः सुसंगत हों। इससे राजस्थान के

निवासियों के लिए विदेशों में रोजगार सृजन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में योगदान मिलेगा।

7.1.6 निजी सेक्टर नियोक्ताओं के लिए स्थानीय प्रतिभा पूल से, विशेषकर जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्रों में से काम पर रखे जाने के लिए रोजगार प्रोत्साहन बढ़ाये जायेंगे।

7.1.7 प्रत्येक जिले में कैरियर सुकर केंद्र विभिन्न सहयोग सेवाएं उपलब्ध करायेंगे जैसे कि कैरियर परामर्श, बायोडाटा लेखन सहायता और उद्योगों के विशिष्ट अनुरूप रोजगार तत्परता को दिशा निर्देश देंगे, जहाँ भी उपयुक्त हो, ये केन्द्र निम्नलिखित कार्य भी करेंगे–

(क) सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण पारिस्थितिकी तंत्र और सुसंगत योजनाओं के समन्वय से दिव्यांगजन के लिए समावेशी कौशल विकास एवं स्थापन सहायता सुनिश्चित करना तथा दिव्यांगजन–अनुकूल सुविधाएँ एवं आवास उपलब्ध कराना, जिससे उनको सेवाओं का प्रभावी परिदान सुनिश्चित हो सके।

(ख) स्वरोजगार हेतु प्रस्तावित, उद्यम तत्परता क्लिनिक, सरकारी सहायता (जैसे ऋण और अनुदान सहायता) के प्रभावी उपयोग पर केंद्रित है जिसमें व्यवसाय योजना, निधियों का उत्तरदायी उपयोग, सांविधिक अनुपालन एवं बाज़ार संपर्क मार्गों जैसी मूलभूत बातें समाविष्ट है।

(ग) राज्य समर्थित पुनर्वास कार्यक्रम से गुजर रहे, पात्र व्यक्तियों के लिए संबंधित विभागों एवं अनुमोदित सिविल सोसायटी भागीदारों के सहयोग से परामर्श, कैरियर मार्गदर्शन एवं पनुःसमेकित सहायता प्रदान करना, जिसमें गोपनीयता एवं गरिमा का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा।

7.2 क्षेत्रीय रणनीतियां

7.2.1 **जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) क्षेत्रों में रोजगार रणनीतियांः** राज्य, टीएसपी क्षेत्र के 12 जिलों में आजीविका विविधीकरण को निम्न माध्यमों से प्रोत्साहित करेगा–

क. गैर–काष्ठ वन उत्पाद (एनटीएफपी), बाँस, शहद एवं औषधीय जड़ी–बूटियों में मूल्य संवर्धन प्रदान करने द्वारा वन–आधारित अर्थव्यवस्था का विकास।

ख. उदयपुर, बांसवाडा और आबू रोड क्षेत्रों में पर्यावरणीय एवं कृषि–पर्यटन केन्द्रों का विकास।

ग. डीएवाई–एनआरएलएम के अधीन जनजातीय–विशिष्ट ऋण सुविधाओं तक पहुँच के साथ एसएचजी के माध्यम से एसटी महिला उद्यमियों को केंद्रित सहायता प्रदान करना।

घ. राजस्थान ओडीओपी नीति के अधीन जनजातीय शिल्पकार क्लस्टरों (बुनाई, मिट्टी के बर्तन, लौहे का काम) का विकास।

7.2.2 **आकांक्षी जिलों में रोजगार रणनीतियां:** पाँच आकांक्षी जिलों में रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने हेतु, राज्यः

क. डिजिटल सेवाओं (डाटा एंट्री, ई–कॉमर्स), ग्रामीण शिल्प और एफपीओ द्वारा समर्थित कृषि–प्रसंस्करण इकाइयों पर केंद्रित आकांक्षी रोजगार इन्क्यूबेटर स्थापित करेगा।

ख. स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने और युवाओं को रोजगार मार्गों से जल्दी जोड़ने के लिए सरकारी स्कूलों में एकीकृत शिक्षा मॉडल शुरू करेगा।

ग. उनकी स्थानीय भाषा में डिजिटल साक्षरता के माध्यम से गिग अर्थव्यवस्था (डिलीवरी, वेयरहाउसिंग, ई–मोबिलिटी सेवाएँ) में भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

8. रोजगार डाटा, डिजिटल प्रणाली और मॉनिटरिंग

8.1 रोजगार–आधारित डाटा संकलन एवं प्रबंधन प्रणाली को प्रबल करना: राज्य, विद्यमान राज्य रोजगार पोर्टल को एक एकीकृत, बुद्धिमत्तापूर्ण एआई–संचालित राज्य ई–रोजगार विनिमय मंच में परिवर्तित करेगा, जो रोजगार सुकर सेवाओं के लिए प्राथमिक डिजिटल प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा।

8.1.1 राजस्थान रोजगार पोर्टल [रोजगार विनिमय प्रबंधन प्रणाली (ईईएमएस) 2.0] को कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच ऑनलाइन संपर्क की सुविधा के लिए विकसित किया जायेगा। इस पोर्टल में क्षेत्रवार रोजगार और योग्यतावार रोजगार चाहने वालों का डाटा सम्मिलित होगा, जो उपलब्ध रिक्तियों के साथ प्रतिभा की मेपिंग के माध्यम से सूचीबद्ध रोजगार अवसरों तक पहुंच को आसान बनायेगा। विभिन्न सरकारी, अर्ध–सरकारी, निजी सेक्टरों, शिक्षा सेक्टर तथा संगठित एवं असंगठित सेक्टरों की सभी रिक्तियाँ राज रोजगार पोर्टल पर प्रकाशित की जायेंगी।

8.1.2 पोर्टल, रोजगार कार्यालय, प्रशिक्षण केंद्रों, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान–विशिष्ट निजी जॉब पोर्टलों एवं शैक्षिक संस्थाओं के डाटा को एकीकृत करेगा। यह ईएसआई और ईपीएफ, जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के डाटा को भी एकीकृत करेगा, जिससे सरकार, कवरेज बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने में सक्षम होगी

कि सार्वजनिक एवं निजी सेक्टरों के प्रत्येक पात्र श्रमिक को इन योजनाओं का लाभ मिले।

8.1.3 इसके अतिरिक्त, राजस्थान रोजगार पोर्टल, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भागीदारी के माध्यम से राजस्थान के कुशल कार्यबल को वैश्विक रोजगार के अवसरों से जोड़ते हुए अंतरराष्ट्रीय जॉब मैचिंग के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यह वृद्धि, मांग आपूर्ति अंतर मिटाकर और वास्तविक समय में जॉब मैचिंग समाधान प्रस्तावित करके, विशेष रूप से द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में मजदूरी आधारित रोजगार को सुकर बनाने की नीति के लक्ष्य के अनुरूप है।

8.1.4 ई–रोजगार मेले प्रारंभ किए जायेंगे, जो नियोक्ताओं और रोजगार चाहने वालों को बातचीत करने के लिए एक वन–स्टॉप प्लेटफार्म प्रदान करेंगे और इस प्रकार दोनों समूहों के लिए उद्योग की आवश्यकता और रोजगार चाहने वालों की योग्यता के अनुसार नामांकन को सुकर बनायेंगे। ई–रोजगार मेलों के रूप में प्रौद्योगिकी के उपयोग से, भर्ती प्रक्रिया को अधिक दक्ष और जवाबदेह बनाया जायेगा।

8.1.5 जिलेवार रोजगार परिदृश्य पर गौर करने के लिए तीसरे पक्ष के संगठनों को सम्मिलित करना और प्रेक्षणों के आधार पर विस्तृत विश्लेषण और रणनीतियां प्रदान करना।

8.1.6 रिक्ति विश्लेषण, कौशल रुझान और नियोक्ता सूचकांकों जैसे श्रम बाजार इनसाईट के लिए रोजगार अवसर प्लेटफार्मों (उदाहरण के लिएः नौकरी. कॉम, एपीएनए, मॉन्स्टर, लिंक्डइन आदि) का लाभ उठाना।

8.1.7 ईईएमएस 2.0 संविदात्मक श्रम डाटा को भी एकीकृत करेगा, जिससे बढ़ते कार्यबल खण्ड की व्यापक ट्रेकिंग और मॉनिटरिंग सक्षम होगी। यह वृद्धि रोजगार पैटर्न का विश्लेषण करने, श्रम विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और संविदात्मक श्रमिकों को लक्षित सहायता प्रदान करने की राज्य की क्षमता को बढ़ाती है, जो डाटा की सटीकता में सुधार और असंगठित क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के नीति के उद्देश्य के अनुरूप है। उन्नत किया गया ईईएमएस 2.0 एक सुसंगत रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने के लिए अन्य डिजिटल प्रणालियों जैसे कि राज्य ई–रोजगार एक्सचेंज प्लेटफार्म के साथ मिलकर कार्य करेगा।

8.1.8 जिलों में निरंतर मॉनिटरिंग और बैंच मार्किंग सुनिश्चित करने के लिए एक रोजगार परिणाम सूचकांक (ईओआई) विकसित करना, जिसमें प्लेसमेंट दर, पारिश्रमिक में वृद्धि, कौशल–से–रोजगार प्रासंगिकता, महिला और एससी/एसटी रोजगार अनुपात आदि सम्मिलित होंगे, जो सरकार को रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए विद्यमान उपबंधों के प्रभाव का विश्लेषण करने में सक्षम बनायेगा।

8.2 **प्रमुख योजनाओं के सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए डाटा संचालित मॉनिटरिंगः** राज्य, प्रमुख रोजगार सृजन योजनाओं के प्रदर्शन को लगातार ट्रैक करने और उसे बढ़ाने हेतु उन्नत डाटा–संचालित मॉनिटरिंग प्रणाली कार्यान्वित करेगा। रियल–टाइम विश्लेषण और एआई सशक्त अंतर्दृष्टियों का लाभ उठाते हुए राज्य, यह सुनिश्चित करेगा कि ये योजनाएं राजस्थान के भविष्य के लिए तैयार अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से संरेखित रहते हुए अधिकतम प्रभाव और प्रभावशीलता प्रदान करे।

9. नीति का शासन

कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग इस नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। प्रमुख सचिव/सचिव, कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग की अध्यक्षता के अधीन संबंधित हितधारकों (विभागीय पदधारियों, पेशेवरों आदि) की भागीदारी के साथ एक समिति का गठन किया जायेगा। समिति, नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा और मार्गदर्शन के लिए आवधिक बैठक करेगी।

10. नीति की कालावधि

राजस्थान रोजगार नीति 2026, उसकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी तथा 31 मार्च, 2029 तक या नयी या पुनरीक्षित नीति की अधिसूचना जो भी पहले हो, तक वैध रहेगी।

....